निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

दिनांक : 03.03.2021

प्रकरण संख्या – 107 / 2020

अनवान

राजेन्द्र पिता नंदा जी जाति माली, उम्र वयस्क, निवासी भदेसर तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ

.........वादी

|| बनाम ||

1. अणछी पुत्री घीसू जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. कैलाश पिता नंदा जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. गंगा पुत्री घीसू जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. गंगा बाई पुत्री नंदा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
5. गुड्डी पुत्री घीसू जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
6. गमेर पिता रूपा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
7. डालू पिता रूपा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
8. धापू पत्नि रामा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
9. नन्दू पत्नि स्व. रूपा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
10. नारायण पिता रूपा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
11. बद्री पिता रामा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
12. भैरूलाल पिता घीसू जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
13. मंजू पुत्री घीसू जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
14. मदन पिता नंदा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
15. मांगीलाल पिता घीसू जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
16. मिठ्ठू पिता रामा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
17. मोहनी बाई पत्नि नंदा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
18. रामसुखी पत्नि घीसू जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
19. लीला पुत्री घीसू जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
20. हीरा पिता रामा जी जाति माली, उम्र वयस्क निवासी भदेसर तह0 भदेसर
21. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:43 IST
Reason: SelfAttested

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – श्री प्रवीण वकील वादी

Scanned with CamScanner

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 की धारा 88, 89 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :-

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम भदेसर पटवार हल्का भदेसर, तहसील भदेसर की खाता संख्या 57 पर दर्ज आ. नं. 125 रकबा 0.04 हैक्टर, आ.नं. 247 रकबा 0.07 हैक्टर, आ.नं. 250 रकबा 0.79 हैक्टर, आ.नं. 254 रकबा 0.16 हैक्टर, आ.नं. 255 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 1.34 हैक्टर लगानी 44.33/-रू एवं खाता 287 पर दर्ज आ.नं. 123 रकबा 0.16 हैक्टर, आ.नं. 124 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.34 हैक्टर कुल लगानी 9.18/-रू दर्ज रेकार्ड है । साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2076 व नक्शा ट्रेस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भदेसर संलग्न वाद पत्र है।
2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित खाता संख्या 57 में दर्ज आराजीयात में वादी का 1/85 हक हिस्सा एवं खाता 285 में वादी का 1/90 वां हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादी के पिता नंदा जी माली की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा विरासत के नामान्तरण की कार्यवाही की गई जिसमें वादी के मूंह बोलते नाम राजू पिता नंदा के नाम विरासत का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम सभी सरकारी दस्तावेजों में राजेन्द्र पिता नंदा माली है । वादी के नाम की त्रूटि के कारण वादी को राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वादी अपनी आराजीयात को उन्नत करने के लिए ऋण भी नहीं ले पा रहा है इसलिए राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर खाता संख्या 57 के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम राजू के बजाय राजेन्द्र अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तदर्थ यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश है।
3. यह कि वादी को उक्त त्रुटि की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण योजना से लाभान्वित किया जा रहा है इस हेतु वादी ने भी आवेदन भरा जिसमें खाते की नकल की आवश्यकता थी जिस पर वादी ने पटवार हल्का से आराजीयात की जमाबंदी की नकल दिनांक 15.06.2020 को प्राप्त की तो राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी हुई जानकारी होते ही यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जावेः—

अ. कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण का वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित खाता संख्या 57 एवं 287 के राजस्व रेकार्ड मं वादी का नाम राजू पिता नंदा जी के बजाय राजेन्द्र पिता नंदा जी अंकित किया जाकर इसी अनुसार वादी के हक में खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की आज्ञप्ति पारित फरमाई जावे।

ब. कि हर्जा खर्चा मुकदमा वकील मेहनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाये जाने की डिकी प्रदान की जावे।

स. कि अन्य दाद जो बहक वादी हो प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारित किये गये ।

प्रकरण में प्रतिवादी ओर से किसी प्रकार का वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिंदु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा भदेसर खाता संख्या 287 संवत् 2076 प्रदर्श—1
2. नकल जमाबन्दी मौजा भदेसर खाता संख्या 57 संवत् 2076 प्रदर्श—2
3. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 के तहत श्री राजेन्द्र पिता नन्दा माली निवासी भदेसर
4. आधार कार्ड राजेन्द्र माली संख्या 711419676090
5. पैन कार्ड राजेन्द्र माली संख्या सीओकेपीएम 3038 ई
6. ड्राईविगं लाईसेन्स राजेन्द्र माली संख्या आर जे 09 20060014530
7. स्टेट बैंक पास बुक राजेन्द्र माली खाता संख्या 61061430755

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:43 IST
Reason: SelfAttested

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन[illegible] वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र माली [illegible] तथा राजू एवं राजेन्द्र एक ही व्यक्ति है केवल जमाबन्दी में वादी का बोलता नाम राजू अंकित कर दिया गया हे जिससे

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला—चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

वादी को प्रत्येक स्थान पर शपथ पत्र देना पडता है तथा वादी को सरकारी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है । जबकि इसके नाम संशोधन से भविष्य में भी किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव न्यायालय के समक्ष नहीं आयेगें । सभी राजकीय दस्तावेजों में भी वादी का नाम राजेन्द्र ही अंकित है जिनकी फोटो प्रतियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । अतः वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के राजस्व रेकार्ड में वादी का सही नाम

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया । वादी ने अपने अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेज से वाद को साबित कराया गया है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम भदेसर पटवार हल्का भदेसर, तहसील भदेसर की खाता संख्या 57 पर दर्ज आ. नं. 125 रकबा 0.04 हैक्टर, आ.नं. 247 रकबा 0.07 हैक्टर, आ.नं. 250 रकबा 0.79 हैक्टर, आ.नं. 254 रकबा 0.16 हैक्टर, आ.नं. 255 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 1.34 हैक्टर लगानी 44.33/—रू एवं खाता 287 पर दर्ज आ.नं. 123 रकबा 0.16 हैक्टर, आ.नं. 124 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.34 हैक्टर भूमि की जमाबन्दी में अन्य सहखातेदार के साथ दर्ज रेकार्ड वादी का नाम **राजू पिता नन्दा माली** के स्थान पर शुद्वि से राजू उर्फ **राजेन्द्र पिता नन्दा माली** अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है । शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी । वादी इस आदेश के मध्यनजर अपने पूर्व नाम के दायित्वों ,ऋण, भार बोझ से मुक्त नहीं हो सकेगें । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:43 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned with CamScanner